अति–आवश्यक
बजट अनुमान

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(7)प्रमुवसं / लेखा / बजट / 2015–16 / 4877-96 दिनांक : 3.9.15

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) / (टी.आर.ई.ई) राजस्थान, जयपुर
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन / विकास / वन सुरक्षा / (एन.टी.एफ.पी.) / श्रम एवं विधि राजस्थान, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / उदयपुर / अजमेर / भरतपुर / विभागीय कार्य, जयपुर / बनास जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक भू.संरक्षण, कोटा।
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, मुख्यालय, कार्यालय प्रमुवसं, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक मैडिसनल प्लांट, वन भवन, जयपुर।

....

विषयः– बजट अनुमान वर्ष 2016–17 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2015–16 प्रस्तुत किये जाने बाबत।

सन्दर्भः– वित्त विभाग का परिपत्र एफ 4(37)वित्त–1 (1) आ.व्य. / 2015 दि. 31.8.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की वित्त विभाग का संदर्भित परिपत्र एफ 4(37)वित्त–1 (1) आ.व्य. / 2015 दि. 31.8.2015 जो वित्त विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों एवं आगामी वर्ष के लिये बजट अनुमानों को संदर्भित परिपत्र के बिन्दू सं. 2 के अनुसार परिशिष्ट –'क' में निर्धारित प्रपत्रों को (आई.एफ.एम.एस) की निर्धारित वेब साईट के माध्यम से बजट तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ठ–ख पर उल्लेखित एकीकृत वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) में आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को आवश्यक प्रपत्रों की सूचना ऑनलाईन करवाये जाने बाबत सुनिश्चित करावें। पूर्व की भांति हार्ड कापी मे भी सभी सूचनाऐ भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। वित्त विभाग के उपरोक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार विभाग में विधमान पद, कार्यरत कार्मिक, दूरभाष सुविधा, कम्प्यूटर्स सम्बन्धी उपकरण तथा वाहनों का विवरण एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) में माह सितम्बर–2015 तक ऑनलाईन करवाया जाना आवंश्यक है।

अतः एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन की वेब साईट (http://ifms.raj.nic.in) पर परिशिष्ठ–ख में उल्लेखित सभी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों को ऑनलाईन कराते हुऐ आयोजना भिन्न मद से संबंधित बजट अनुमान वर्ष 2016–17 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2015–16 मुख्यालय को दिनांक 20.09.2015 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावे।

भवदीय,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(टी.आर.ई.ई)
राजस्थान, जयपुर